

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

नाम मुखपाल कौर आदि बनाम इकबाल सिंह आदि
 नं. संख्या 62 / 2023 अन्तर्गत धारा 212 R9A

आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज

नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए

9
10/24

अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्राप्त पत्र हेतु सगप्य भत्ता। ग.प. की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वारंते जवाब प्राप्त पत्र दिनांक 11/09/24 को पेश हो।

11/3
11/24

अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्राप्त पत्र हेतु सगप्य भत्ता। ग.प. की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वारंते जवाब प्राप्त पत्र दिनांक 01/10/24 को पेश हो।

01/16
01/24

अधिवक्तागण उपस्थित। हस्तगत प्रकरण के मूलवाद का विस्तारण हो चुका है। अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्राची का प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा 212 R9A खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी विधिवास्ता दिनांक 08/06/2023 भी निरस्त की जाती है। पत्रावली निर्गति होकर नम्बर से कम होकर वापिल हुकर हो।

अखिल अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर